3/8/17 पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो
वकील उपस्थित प्रार्थी ने प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 K.T.A.
के तहत पेश कर निवेदन किया
की मौजा सरहद रामसीन के खेत
खसरा न. 351 रकबा 03.10 बीघा
ख.न. 352 रकबा 3.14 बीघा की
भूमि में विप्रार्थीगण स्वयं मौजूदा है।
विप्रार्थीगण एवं एजेन्ट वगैरा प्रार्थीगण
के कब्जा काश्त में कोई दखल
अन्दाजी पैदा नहीं करे तथा राजस्व
रेकर्ड में यथास्थिति बनाए रखे।

ग्राम रामसीग का दोबारा सेटलमेन्ट
सवंत 2024 में हुआ, जिसके पुराने
खसरा न. 367 के नये खसरा न.
351 रकबा 3 बीघा व 10 बिस्वा व
खसरा न. 352 रकबा 03.14 बीघा
तथा पुराना खसरा न. 381 रकबा 01.10
बीघा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किया
गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत
जमाबन्दी सवंत 2071-2074 ग्राम रामसीग
की पेश की गयी। जिसका अवलोकन
किया गया। उक्त जमाबंदी मे खातेदार
चम्पालाल व नेमाराम पुत्र लालाजी
जाति माली निवासी रामसीग खातेदार दर्ज
है। प्रार्थी उक्त भूमि में खातेदार

दर्ज नहीं है। बनत सेटलमेन्ट पर्चा खतौनी में उक्त भूमि प्याला बल्द रणछोड़ पालीवाल के नाम दर्ज है। विप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को नकारा गया तथा प्रस्तुत गिरदावरी अवलोकन से पाया गया की काश्त विप्रार्थीगण की दर्ज की गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत रेकार्ड में खातेदार दर्ज नही होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की तीनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जैसी इक्वीटेबल रिलीज पाने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता। साम्या का सिद्धान्त अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन जैसे विचारणीय विधिक बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेंट नही है न ही कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है. इसके विपरित विप्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदारान टिनेंट व मौके पर काबिज होने बाबत गिरदावरी भी पेश हुई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA act सरहद मौजा रामसींग के खसरा न. 351, 352

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	स्वीकार करने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

Scanned by CamScanner